फा. सं. 25–10 / 2004–डीडी III/एनआई

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद की नियुक्ति

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (यहां इसके बाद, 'अधिनियम') की धारा 3 (1) के तहत गठित एक सांवधिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आरसीआई को पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कर्मियों और व्यावसायिकों के प्रशिक्षण के मानकीकरण और विनियमन की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, अध्यक्ष, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है, को पुनर्वास, दिव्यांगताओं और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक अर्हताओं के साथ प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होना चाहिए। आवेदन पत्र सहित पात्रता मानदंड और अन्य सभी प्रासंगिक विवरण विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी, विभाग की वेबसाइट पर दर्शाए गए, निर्धारित प्रोफार्मा में सहायक दस्तावेजों के साथ, श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर 519, 5वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 को 08 **नवम्बर** ,2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारतीय पुनर्वास परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति

भारतीय पुनर्वास परिशद् (आरसीआई), भारतीय परिषद् अधिनियम, 1992 (यहां इसके बाद 'दि एक्ट'(अधिनियम)) की धारा 3(1) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। परिषद में 29 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है। परिषद् के कार्य नीचे दिए गये हैं:–

2. अधिनियम के अध्याय III में यथानिर्दिश्ट, आरसीआई के कार्य संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं:–

(i) दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यावसायिकों हेतु प्रशिक्षण का मानकीकरण, अनुमोदन और विनियमन।

(ii) विभिन्न विदेशी डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों की तुलना में भारतीय डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की पारस्परिक मान्यता;

(iii) मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हताओं को धारण करने वाले व्यावसायिकों का केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना; और

(iv) पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए आचरण, शिष्टाचार और आचार नीति के मानक निर्धारित करना।

3. भारतीय पुनर्वास परिषद् विनिमय, 1997 के विनिमय 4 के अनुसार, आरसीआई के अध्यक्ष के अधिकार और कर्त्तव्य इस प्रकार हैं:–

(i) परिषद् अथवा इसकी समितियों के समुचित कार्यकरण और परिषद् अथवा समिति द्वारा निष्कर्ष के बाद दिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन और इन विनियमों अथवा अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु उत्तदायी होगा।

(ii) परिषद् के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐसा पर्यवेक्षी और प्रशासनिक नियंत्रण रखना जो अधिनियम के तहत कार्यों के सक्षम रूप से निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो।

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम अथवा विनियम के संबंध में कार्य करते समय अथवा कार्य करने के उद्देश्य से अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अनुसार लोक सेवक माना जाएगा।

4. अधिनियम की धारा 4 के अनुसार नियुक्ति की अवधि : नियुक्ति की तारीख से 02 वर्शों हेतु अथवा नए अध्यक्ष की विधिवत नियुक्ति होने तक, जो भी अधिक समय के लिए हो।

5. स्वीकार्य भत्ते:– अध्यक्ष, आरसीआई को अधिनियम की धारा 8 (3) के अंतर्गत भत्ते भुगतान किए जाते हैं जो निम्न है :–

(i) एसटीडी सहित 02 टेलीफोन की सुविधा, जिसमें से एक आवास और एक कार्यालय के लिए, वित्त मंत्रालय के दिनांक 14.11.2006 के का.ज्ञा. के अनुसार सचिव, भारत सरकार के लिए

यथा लागू अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति भामिल है। इस प्रकार आवासीय टेलीफोन के प्रभार अधिकतम मासिक प्रतिपूर्ति **राशि** 2800/–रूपए प्रतिमाह (सभी टैक्स को छोडकर) लिए है।

(ii) किराए के वाहन के उपबंधों के मौजूदा **निर्देशों** के अनुसार आवास और कार्यालय आने–जाने के लिए किराए के वाहन और **स्टेशन** मुख्यालय के भीतर कार्यालयी यात्रा करने हेतु।

(iii) व्यय विभाग के दिनांक 23.09.2008 के का.ज्ञा. सं. 19030/3/2008–ई–IV के अंतर्गत **संशोधित** यात्रा भत्ता नियमों के तहत, सबसे उच्च ग्रेड के सरकारी अधिकारी के बराबर यात्रा भत्ता स्वीकार्य है।

6. **आयु सीमाः** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 65 **वर्ष** से अधिक नहीं।

7. **पात्रताः**

7.1 अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष पुनर्वासन, दिव्यांगता और **विशेष शिक्षा** के क्षेत्र में व्यावसायिक योग्यताओं सहित **प्रशासन** में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगी।

7.2 **शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभवः–**

i) **शैक्षिक अर्हताएंः**

अनिवार्यः पुनर्वास, दिव्यांगता अथवा **विशेष शिक्षा** के क्षेत्र में व्यावसायिक अर्हता सहित किसी मान्यता प्राप्त **विश्व**विद्यालय से स्नातक।

वांछनीयः सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री/प्रबंधन में डिग्री/विधि में डिग्री।

ii) **अनुभवः** नीचे निर्दिश्ट स्तर के अनुसार, पुनर्वास, दिव्यांगता अथवा **विशेष शिक्षा** के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों में कार्यरत अथवा कार्य किया होना चाहिएः–

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी स्वायत्त निकायों में समूह 'क' स्तर के पद पर 20 **वर्षो** का अनुभव अथवा

(ख) पंजीकृत राश्ट्रीय अथवा अंतर्राश्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठन अथवा किसी प्रतिश्ठित निजी क्षेत्र के संगठन में – इसके प्रमुख अथवा अन्य वरिश्ठ स्तर के पद पर कार्य करने का 20 **वर्षो** का अनुभव अथवा

(ग) **शै**क्षिक संस्थानों में – प्रोफेसर के रूप में कम से कम 5 वर्श और कम से कम 02 **वर्ष** विभागाध्यक्ष/डीन/संस्थाओं के प्रमुख के रूप में कार्य किया हो।

8. **आवेदन करने की प्रक्रिया**

(i) उक्त पैरा 7 में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले अभ्यर्थी सहायक दस्तावेजों के साथ, निर्धारित प्रपत्र में श्री **डी. के. पांडा**, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं. 519, पांचवा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ, कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को **दिनांक 08 नवम्बर, 2021 तक** आवेदन कर सकते हैं।

(ii) आवेदन प्रपत्र www.disabilityaffairs.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

9. जिन उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, आरसीआई पद के लिए पहले आवेदन किया था उनसे नए सिरे से आवेदन करना अपेक्षित है।

****

भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र का प्रपत्र।

1. (क) पूरा नाम (बडे अक्षरों में)
   (ख) पता
   (ग) टेलीफोन नं. .....(का.) .....(आ.) .....(मो.)
   (घ) ई–मेल पता
2. जन्म तिथि
3. (क) **शैक्षिक** एवं अन्य अर्हताएः

उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण/पूरा करने का वर्श	संस्थान	अंको का प्रतिशत/ग्रेड	मुख्य विशय
उच्च स्कूल/उच्चतर माध्यमिक/वरिश्ठ माध्यमिक				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
पीएचडी				
कोई अन्य				

(ख) **प्रकाशित शोध** पत्र (संक्षिप्त ब्यौरा दर्शाए)

पेपर का **शीर्षक**	पत्रिका (जर्नल) का नाम	क्या संदर्भित हैं	किस अंक में **प्रकाशित** हुए

4. अनुभव का ब्यौरा

कार्यालय/संगठन	संगठन के कार्यकलाप	संगठन का नाम	वेतनमान/समेकित वेतन के साथ धारित पद	सेवा अवधि..... से .....तक	नियुक्ति का स्वरूप क्या नियमित/तदर्थ/प्रतिनियुक्ति/मानद है	ड्यूटी/कार्य विवरण

5. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है, जिसका उल्लेख आप अपनी उम्मीद्वारी के समर्थन में करना चाहे।
6. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित हैं।
7. आवेदन–पत्र के साथ दी गई सूचना/दस्तावेज अपर्याप्त पाये जाने की स्थिति में संदर्भ हेतु दो व्यक्तियों का नाम, पता और टेलीफोन नंबर ताकि उनसे अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जा सके।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पत्राचार के लिए पूरा पता

दिनांकः
स्थानः